न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/18/2023	2023/281	17.05.2023	18.12.2024

1. रामशरण पुत्र नारायण जाति मीणा उम्र करीब 50 साल
2. ओमप्रकाश पुत्र रामधन जाति मीणा उम्र करीब 55 साल
3. हरसहाय पुत्र रामधन जाति मीणा उम्र करीब 45 साल
4. मूरली पुत्र रामधन जाति मीणा उम्र करीब 50 साल
5. बाबू लाल पुत्र रामधन जाति मीणा उम्र करीब 35 साल
6. शंकर लाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा उम्र करीब 47 साल
7. कालू राम पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा उम्र करीब 58 साल
8. शिवदयाल पुत्र श्याम लाल जाति मीणा उम्र करीब 38 साल निवासीयान ग्राम बाछडी तहसील थानागाजी जिला अलवर

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत मेजोड पंचायत समिति थानागाजी तहसील थानागाजी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेजोड
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी

— रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 389 निर्णय दिनांक 25.05.2022 ग्राम कालालाका तहसील थानागाजी जिला अलवर।

उपस्थितः—
01—श्री राकेश शर्मा —वकील अपी0
02—श्री राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 389 निर्णय दिनांक 25.05.2022 ग्राम कालालाका, तहसीलदार थानागाजी द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार थानागाजी ने उक्त विवादित इन्तकाल सं० 389 बेजा तौर पर स्वीकार किए जाने का आदेश पारित किया है। जिसकी बाबत अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नही हो सकी और जिस आज्ञा का सर्वप्रथम ईल्म हाल ही में दिनांक 24/04/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प के दौरान हुआ जबकि उक्त इन्तकाल की आड़ में मौके पर रास्ता निकालने हेतु कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए । जिस पर अपीलाण्ट्स ने दिनांक 24/04/23 को ही नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर दिनांक 24/04/23 को ही नकल प्राप्त होने पर बाद कानूनी सलाह आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है । उपरोक्त प्रकार से अंदर मियाद पेश है एवं दिनांक 25/05/22 से दिनांक 24/04/23 तक का समय जानकारी के अभाव में व उसके बाद से आज तक का समय कानूनी सलाह आदि में व्यस्त होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कण्डोन फरमाए जाने योग्य है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। तहसीलदार थानागाजी ने विवादित इन्तकाल स्वीकार करने से पूर्व ना तो कोई सर्व साधारण को नोटिस जारी किया और ना ही मौके की कोई जांच की और ना ही अपीलाण्ट्स को कोई नोटिस जारी किया बल्कि साहब तहसीलदार ने कथित इन्तकाल सरसरी तौर पर स्वीकार किए जाने का आदेश पारित

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

किया है जो गलत है। तहसीलदार थानागाजी ने जिस कथित आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी कैम्प मेजोड के आदेश दिनांक 24/11/21 की पालना में उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है, वह आज्ञा अपीलाण्ट्स के खिलाफ गलत तौर पर बाला-बाला एकतरफा में सादिर फरमाई गई है जिसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी थानागाजी कैम्प मेजोड में जो आदेश दिनांक 24/11/21 को प्रदान किया है, वह आदेश मौके के विपरीत गलत तौर पर सादिर फरमाया गया है जबकि मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का जो उपतहसीलदार प्रतापगढ द्वारा दिनांक 18/08/21 को तैयार की गई है, उसके अनुसार खसरा नंबर 64 वर्तमान रिकॉर्ड में गैरमुमकिन पाल दर्ज रिकॉर्ड होना व मौके पर गैरमुमकिन पाल के रूप में ही बना हुआ होना दर्ज किया गया है तथा खसरा नंबर 64 पर वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता एवं पगडण्डी, होना दर्ज किया गया है। उक्त रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि उक्त खसरा नंबर व इस नम्बर के लगते हुए मौके पर 9 बोरिंग लगी हुई है एवं सघनता में छोटे-बडे पेड-पौधे लगभग 400 की संख्या में हे एवं खसरा नंबर 64 गैरमुमकिल पाल के पूर्वी हिस्से में लगता हुआ पानी भराव क्षेत्र है जिसमें वर्षा का पानी पूर्व दिशा में पहाड का पूरा पानी भराव लेता है एवं यहां से कभी भी रास्ता नहीं रहा एवं ऐसा प्रतीत नही होता है कि कभी रास्ता रहा हो । इस प्रकार जब रिपोर्ट उपतहसीलदार, प्रतापगढ के अनुसार भी मौके पर कोई रास्ता होना नहीं पाया जाता है तो फिर खसरा नंबर 64 मे से 0.53 है० भूमि को रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करना मौके के विपरीत है। उपरोक्त खसरा नंबर को जो पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता होना बताया गया है, वह मौके के विपरीत गलत तौर पर दर्ज किया गया है एवं इसके साथ साथ खसरा नंबर 64, 109, 110, 111, 112, 113 ग्राम कालालाका में मौके पर कोई रास्ता नही है और पूर्व के राजस्व अभिलेख में रास्ता गलत तौर पर दर्ज कर दिया गया था, जिसे बंदोबस्त अधिकारियो ने हाल बंदोबस्त संवत 2028 में कायम होने पर मौके के अनुसार इन्द्राज गैरमुमकिन पाल सही प्रकार से दर्ज किया है और उक्त इन्द्राज को किसी भी प्रकार से दुरूस्त करते हुए 0.53 है० भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता था जो काबिल गौर श्रीमान है। दिनांक 24/04/23 को भी ग्राम कालालाका में आराजी खसरा नंबर 64, 109, 110, 11, 112, 113 का मौका निरीक्षण जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया जिसकी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 64 रकबा 1.16 है० गैरमुमकिन पाल कालालाका में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत 2074-77 में 0.53 है० गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है जिसकी राजस्व नक्शे में अभी तक तरमीम नहीं हुई है। खसरा नंबर 64 में मौके पर पाल लगी हुई है। जिस पर लगभग 600 पेड-पौधे लगे हुए हैं एवं 9 बोरिंग बनी हुई हैं जिसमें काश्तकार अपनी खातेदारी की भूमि की सिंचाई करते हैं। खसरा नंबर 64 गैरमुमकिन पाल के पूर्वी हिस्से में समानान्तरण लगता हुआ पानी भराव क्षेत्र है जिसमें वर्षा का पानी पूर्व दिशा में पहाड का बरसाती पानी का भराव क्षेत्र है। अपीलाण्ट्स की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1057/16 रकबा 0.37, 1066/108 रकबा 0.05, 75 रकबा 0.09, 76 रकबा 0.01, 77 रकबा 0.67, 79 रकबा 0.10, 80 रकबा 1.54, 82 रकबा 1.14, 83 रकबा 0.53, 84 रकबा 0.08, 61 रकबा 0.08, 62 रकबा 0.35, 55 रकबा 0.42, 63 रकबा 0.49 वाके ग्राम कालालाका तहसील थानागाजी में स्थित है। जिस आराजी की आषपाशी खसरा नंबर 64 में पूर्वी हिस्से में जो भराव क्षेत्र है, उससे की जाती है और उसके साथ साथ उपरोक्त भूमि में लगे हुए बोरिंग से की जाती है। इस प्रकार यदि उपरोक्त आराजी मे से कोई रास्ता जबरन तौर पर निकाल लिया गया तो अपीलाण्ट्स को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा और उनकी खातेदारी की उपरोक्त आराजी की सिंचाई का कोई साधन नही रहेगा। इसके साथ साथ जो भराव क्षेत्र है उसमें सभी ग्रामवासियान के मवेशीयान भी पानी पीती रहती है और रास्ता कायम किए जाने से मवेशीयान के पानी पीने का साधन भी खत्म हो जाएगा और सघन पेडो के नीचे छाया मे बैठकर मवेशीयान आराम करते है। इस प्रकार चूंकि विवादित इन्तकाल में अपीलाण्ट के हित निहित है किन्तु तहसीलदार थानागाजी ने बिना अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाए हुए उक्त आदेश सादिर फरमाया है जिसके कायम रहने से अपीलाण्ट्स के हकूक जायल होते है । जिस कारण अपीलाण्ट्स मौजूदा अपील प्रस्तुत करना

आ. ... जिला कलक्टर (प्रथम)

चाहते है जिसकी इजाजत सादिर फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा० दी० पेश है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर साहब तहसीलदार थानागाजी का आदेश दिनांक 25.05.2022 निरस्त फरमाया जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 389 ग्राम कालालाका तहसील थानागाजी निरस्त फरमाए जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावें।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.25.2022 के विरूद्व दिनांक 03.05.2023 को पेश की गयी है जो करीब 11 माह 09 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अपी0 द्वारा अपील ग्राम कालालाका तह0 थानागाजी के इन्तकाल सं0 389 आदेश दिनांक 25.05.2022 के विरूद्व पेश की है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार आ0 खसरा नंबर 64 रकबा 1.16 है0 किस्म गैर मुमकिन पाल दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि राजकीय भूमि है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के आदेश दि0 24.11.2021 की पालना में उक्त नामा0 तहसीलदार थानागाजी (भू.अ.) द्वारा दर्ज व स्वीकार किया गया है। जिससे अपी0 का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है एवं ना ही अपी0 का कोई विधिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इस न्यायालय को पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के इन्तकाल सं0 389 निर्णय दिनांक 25.05.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी का इन्तकाल सं0 389 निर्णय दिनांक 25.05.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)